

तारीख
दिनांक

T.T.


63/10.11.2004

दुग्ध या कारखाना या इतिशिवला जज

श्रीमती देवी व/र संतोष

उन्हें कोई आधिकार नहीं होगा (आदि निष्पत्ति)।
दुग्ध या कारखाना को सुनने के पश्चात्
पत्रावली का अन्तर्लोकन किया गया। उक्त
पत्रावली की तहसील सुनी जाकर हमें उक्त
को अस्वाइ निवेद्याज्ञा के आवधिक और
सम्बन्धित तैयारी के निवेदन के आधार
पर पत्रावली को प्रेषित करना आवश्यक
समझते हैं। उक्त दुग्ध या कारखाना इलाहाबाद
के अन्तर्लोकन मात्र से निरस्त आदेशों में
पत्रावली को सुनिश्चित प्राप्त करने का आधार
बतलाते हैं। खाते शरीर की सुविधा होने से सुविधा
का सुन्तलन भी सुनिश्चित के पत्र में प्राप्त जाता
है। अतः सुनिश्चित प्राप्ति में सुनिश्चित के पत्र में
जाती है।

अतः उपर्युक्त निवेदन को अलोक में
पत्रावली का अन्तर्लोकन अस्वाइ निवेद्याज्ञा द्वारा
२१२ सूची का किया जाता है। अस्वाइ
निवेद्याज्ञा उक्त पत्रावली को इति आशय
से प्रेषित किया जाता है कि ग्राम निवासी द्वारा
तहसील दोसा में स्थित मूखी एच नं: 424-9
44, 45, 141, 24, 25, 26, 48, 53, 54, 56,
293, 294, 295, 364, 385, 386, 520,
521, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 555, 673 इस पर भी के व रेकॉर्ड
की प्रत्यास्थिती बनाये रखने हेतु तार्किक रूप
से पत्रावली को अस्वाइ निवेद्याज्ञा प्रेषित
रहे। कम्प्लैट रूप से सुनिश्चित नब्बू से
कम है। काय तहसील प्राप्त पत्रावली
श्रीमती देवी व/र हो।



सहायक कलक्टर
दोसा, जिला दोसा